

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-2666/दो-9-2017-17(21)/2013
लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2017
कार्यालय-ज्ञाप

श्री नरेन्द्र सिंह, पी0सी0एस0 के पत्र दिनांक 20.09.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग)(क) सपठित नियम-17(1)(क) के अधीन प्लॉट संख्या-सी-5/59, सुशान्त गोल्फ सिटी (अंसल) में भवन निर्माण करने हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./77984 से रू0-6,00,000/- (रूपये छः लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तार्थीन प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- 2- यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- 3- उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-2666(1)/दो-9-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- सम्परीक्षा अधिकारी कास (viii) फण्ड महालेखाकार, कार्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
 - 3- जिलाधिकारी, आगरा।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
 - 5- श्री नरेन्द्र सिंह, पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी, (ना0आ0) आगरा।
 - 6- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
- संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
निशानाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।